प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 13.06.2024

थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा मुठभेड़ में घायल अवस्था मे एक लुटेरा गिरफ्तार

दिनांक 13/06/2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा अपराधिक घटनाओं के दृष्टिगत डीएवी स्कूल के पास चेकिंग की जा रही थी तभी एक मोटर साइकिल सवार व्यक्ति डीएलएफ स्कूल की तरफ से आता दिखाई दिया जिसे रुकने का इशारा किया गया तो नहीं रुका और अपनी मोटर साइकिल को पीछे की तरफ मोड़कर तेजी से भागने लगा शक होने पर पुलिस द्वारा पीछा किया गया तो पुलिस टीम को अपने पीछे आते देख भाग रहे बदमाश के द्वारा मोटर साइकिल को तेजी से भगाने के कारण मोटर साइकिल फिसल कर गिर गई और पुलिस पार्टी को पीछे आते देख बदमाश द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में पुलिस पार्टी पर फायर कर रहा बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल भेजा जा रहा है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

सलमान उर्फ मेहताब पुत्र नसीम निवासी सुंदर नगरी दिल्ली उम्र 30 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त सलमान उपरोक्त पर दिल्ली व गाजियाबाद में चोरी लूट व आर्म्स एक्ट के लगभग तीन दर्जन अभियोग पंजीकृत है

बरामदगी का विवरण

1-01 तमंचा व 01 जिंदा कारतूस

2.चोरी की एक मोटरसाइकिल

3.मु.अ.स.260/24 धारा-392 आईपीसी से संबंधित बरामद रुपये

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना शालीमार गार्डन टीम

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को स्पष्ट यौन कृत्यों के लिए प्रेरित करने व बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार को बढ़ावा देने वाली 01 अभियुक्ता यूट्यूबर गिरफ्तार, कब्जे से 01 मॉनिटर, 01 सीपीयू , 01 कीबोर्ड , 01 माउस , 02 चस्मे व 01 फाइबर सीट (कुवारी बेगम लिखा हुआ) आदि बरामद ।

दिनांक 12.06.2024 को थाना कौशाम्बी पर दीपिका नारायण भारद्वाज निवासी-एकम् न्याय फाउन्डेशन गुडगांव की लिखित तहरीर के आधार पर ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को स्पष्ट यौन कृत्यों के लिए प्रेरित करने व बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार को बढ़ावा देने वाली 01 अभियुक्ता यूट्यूबर शिखा मैत्रैय पुत्री जितेन्द्र कुमार शर्मा निवासी म0न0 436 हापुड़ रोड़ इन्द्रगढी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष के विरुध्द सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए आज दिनांक 13.06.2024 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्ता यूट्यूबर शिखा मैत्रैय पुत्री जितेन्द्र कुमार शर्मा उपरोक्त को उसके निज निवास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 मॉनिटर, 01 सीपीयू , 01 कीबोर्ड , 01 माउस , 02 चस्मे व 01 फाइबर सीट(कुवारी बेगम लिखा हुआ) आदि बरामद हुई अभियुक्ता यूट्यूबर शिखा मैत्रैय पुत्री जितेन्द्र कुमार शर्मा उपरोक्त कुवारी बेगम नामक यूट्यूब चैनल चलाती है। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता

शिखा मैत्रैय पुत्री जितेन्द्र कुमार शर्मा निवासी म0न0 436 हापुड़ रोड़ इन्द्रगढी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

- 01 मॉनिटर, 01 सीपीयू , 01 कीबोर्ड , 01 माउस , 02 चस्मे व 01 फाइबर सीट (कुवारी बेगम लिखा हुआ) आदि बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम

थाना मधुबन बापुधाम पुलिस टीम द्वारा 25000/- रूपये का ईनामी गैंगेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 13.06.24 को थाना मधुबन बापुधाम पुलिस टीम द्वारा 25000- रूपये का ईनामी गैंगेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त करन पुत्र खुशीराम निवासी रनहेरा थाना जेवर जिला गौतमबुद्धनगर को लोकल इनपुट व मुखबिर की सूचना पर ग्राम रनहेरा थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर से गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त –

करन पुत्र खुशीराम निवासी रनहेरा थाना जेवर जिला गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 32 वर्ष।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त-

अभियुक्त करन उपरोक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर 03 मुकदमे चोरी के एवं थाना कविनगर पर 03 मुकदमा चोरी के तथा 01 मुकदमा गैंगेस्टर एक्ट का कुल 07 मुकदमे दर्ज है।

गिरफ्तार करने वाली थाना पुलिस टीम –

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम

थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा घर से आईफोन व राडो घड़ी चोरी करने वाली 01 अभियुक्ता तथा चोरी का आईफोन चलाने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया आईफोन फोन बरामद।

दिनांक 08.06.2024 को थाना इंदिरापुरम पर वादिया द्वारा लिखित तहरीर दी गई और बताया कि मेरे घर में मेरे यहाँ पर काम करने वाली नौकरानी द्वारा आईफोन-14 व राडो घड़ी चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त प्रकरण का संज्ञान लेते हुए दिनांक 13.06.2024 को थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर आईफोन व राडो घड़ी चोरी करने वाली 01 अभियुक्ता तथा चोरी का आईफोन चलाने वाला अभियुक्ता का देवर राजकुमार पुत्र जेयछ मुखिया निवासी कनावनी गेट न0 2 के साईड में आश्रम रोड़ थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद मूल निवासी गांव आसी पोस्ट आसी थाना आसी दरभंगा बिहार उम्र करीब 19 वर्ष को कनावनी गेट न0 2 के साईड में आश्रम रोड़ इन्दिरापुरम से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से चोरी किया गया 01 आईफोन फोन बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्ता व अभियुक्त राजकुमार पुत्र जेयछ मुखिया उपरोक्त के विरुध्द सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्ता ने पूछताछ के दौरान बताया कि उक्त मोबाइल मैंने ही चोरी किया था। चोरी के बाद इस मोबाइल को अपने देवर राजकुमार जो मेरे ही साथ रहता है को दे दिया था। इस मोबाइल को मेरे देवर राजकुमार द्वारा चलाया जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्ता व अभियुक्त का नाम व पता

1. राजकुमार पुत्र जेयछ मुखिया निवासी कनावनी गेट न0 2 के साईड मे आश्रम रोड़ थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद मूल निवासी गांव आसी पोस्ट आसी थाना आसी दरभंगा बिहार उम्र करीब 19 वर्ष।
2. अभियुक्ता

बरामदगी का विवरण

- एप्पल आईफोन-14

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 13.06.2024 को थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त शाहरुख पुत्र मुइनुद्दीन निवासी कल्लूगी डासना देहात थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष को एएलटी कट चौकी क्षेत्र सैक्टर 9 राजनगर से गिरफ्तार किया गया तथा उसके कब्जे से 1 मोटर साइकिल (गलत नं0 प्लेट लगा हुआ) चोरी की बरामद की गयी। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम पता-

शाहरुख पुत्र मुइनुद्दीन निवासी कल्लूगी डासना देहात थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष

बरामदगीः-

चोरी की 01 मोटर साइकिल

गिरफ्तार करने वाले टीमः-

थाना कविनगर पुलिस टीम

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 13.06.2024 को थाना कौशाम्बी पर वादिया द्वारा लिखित तहरीर दी गई और बताया गया कि मेरी नाबालिग पुत्री के साथ नकुल नाम के व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है। जिसके सम्बन्ध में थाना कौशाम्बी पर सुसंगत धाराओं अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए आज दिनांक 13.06.2024 को ही थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा अभियुक्त नकुल कुमार पुत्र स्व0 केदार महेतो मूल निवासी ग्राम अमित्रा थाना हरनौथ जिला नालंदा बिहार वर्तमान पता शिवम के किराये का मकान भोवापुर कौशाम्बी उम्र करीब 25 वर्ष को थाना कैशाम्बी पुलिस द्वारा सेन्ट्रल पार्क कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त नकुल उपरोक्त के विरुध्द आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

नकुल कुमार पुत्र स्व0 केदार महेतो मूल निवासी ग्राम अमित्रा थाना हरनौथ जिला नालंदा बिहार **वर्तमान पता** शिवम के किराये का मकान भोवापुर कौशाम्बी उम्र करीब 25 वर्ष।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम